

मत्स्य निदेशालय
झारखण्ड, राँची

सं०सं०-म०नि० IV/लेखा/283/2020-21/ 02 (आ०)/मत्स्य/राँची/दिनांक 09.06.2021

प्रेषक,

एच० एन० द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
गुमला, लोहरदगा, चतरा, दुमका, साहेबगंज, एवं गोड्डा।
जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा, कोडरमा, रामगढ़ एवं खूँटी।
मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची।
सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची।
निदेशक मत्स्य के सचिव सह नि० एवं व्यय० पदा०,
मत्स्य निदेशालय, राँची।

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत कुल मो० 31,00,000/-रु० मात्र (एकतीस लाख) रूपये मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का आवंटन आदेश सं० 20 आ० (वि०) दिनांक 07.04.2021 एवं ऑनलाईन आवंटन सं० 15 तथा मत्स्य निदेशालय आवंटन सं० 01 (आ०) दिनांक 07.04.2021।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु मॉग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का आवंटन आदेश सं० 20 आ० (वि०) दिनांक 07.04.2021 एवं ऑनलाईन आवंटन सं० 15 के आलोक में मो० 31,00,000/-रु० मात्र (एकतीस लाख) रूपये मात्र संलग्न विवरणी अनुरूप निधि का आवंटन किया जाता है।

2. इस आवंटन के विरुद्ध वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि०, दिनांक 15/07/03 में निहित प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाये।

3. (क) वित्त प्रभाग के परिपत्र सं०-224/बजट/दिनांक 30.03.2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में निधि का आवंटन किया जाता है।

(ख) झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का सख्ती से पालन किया जाय।

4. आबंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह के 15 तारीख तक टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ टेजरी एम०आई०एस० से अवश्य मिलान (रिकान्सीलेशन) करा लिया जाए।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित हो, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष 21-22 के प्रत्येक महिने का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना सम्बन्धित DDO का दायित्व होगा।
6. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 475 में किये गये निदेश के आलोक में किया जाय। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट नैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय।
7. मोटर वाहन में आवंटित राशि का व्यय सरकारी कार्यों में उपयोग के लिए किराये पर लिए गए वाहनों के किराया भुगतान हेतु किया जाएगा।
8. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत संकल्प सं० 3296/वि० दिनांक 15.09.2014 का अनुपालन करते हुए किराये पर वाहन लिया जाएगा।
9. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखना। अंकेक्षण के दौरान प्राप्त अंकेक्षण आपत्तियों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे **Drop** कराया जाए, साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में इस मद के व्यय में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु०-ऑनलाईन आवंटन

विश्वासभाजन

09/06/21

(एच० एन० द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची

सं०सं०-म०नि० IV/लेखा/283/2020-21/ 02 (अ०) /मत्स्य/राँची/दिनांक 09.06.2021

प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, (बजट) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड, राँची /उप मत्स्य निदेशक एवं संयुक्त मत्स्य निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/06/21

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची